

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प सत्यपाल

-: आदेश :- सत्यपाल

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सत्यपाल व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नीमा की टाणी तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 65 जमा 64 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रसं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	<u>नीमा की टाणी</u> <u>खेन व अन्य प्रविष्टि</u> <u>अथावन</u>	<u>65 जमा</u> <u>64 पुराना</u>	<u>सत्यपाल</u> <u>पुत्र</u> <u>गौरमल</u>	<u>सत्यपाल उर्फ</u> <u>असन्त कुमार</u> <u>पुत्र</u> <u>गौरमल</u>

सत्यपाल
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :- 2287

प्रतिलिपि:- 7.6.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री सत्यपाल उर्फ असन्त कुमार पुत्र गौरमल को सूचनाथे।

3. रक्षित पत्रावली।

गौर, नीमा की टाणी

सत्यपाल
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

सत्यपाल